न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 06/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/103

बउनवानीः–1. सरफूद्दीन पुत्र जुम्मा लुहार आयु 40 वर्ष निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. केसरा लुहार पुत्र बरदया लुहार आयु 72 वर्ष निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मिसल संख्या 01/2022 मे पारित आदेश दिनांक 18.5.2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः– 1. श्री रिषीराम मीना — अपीलान्ट

2. श्रीदास सिंह राजावत — रेस्पो0

–: निर्णय :– दिनांक 30.04.2024

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मिसल संख्या 01/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 18.5.2022 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि केसरा लुहार निवासी ऐण्डा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 भरण पोषण अधिनियम के तहत गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर मुझ अपीलान्ट से भरण पोषण की राशि 1500/–रू प्रतिमाह देने के आदेश पारित करवा लिये है। क्योकि केसरा लुहार से मेरा किसी प्रकार से कोई संबंध एव वास्ता नही है। केसरा लुहार मुझ अपीलान्ट के पिता का भाई रहा है जिसकी कोई चल–अचल सम्पति मुझ अपीलान्ट के पास नही है। केसरा लुहार उसके छोटे भाई रोशन लुहार जो पढाना गांव मे निवास करता है उसके पास मे रह रहा है मुझ अपीलान्ट के पास कभी भी नही रहा है तथा केसरा लुहार के गांव ऐण्डा में किसी भी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति नही है अर्थात मुझ अपीलान्ट द्वारा केसरा लुहार की छोडी हुई किसी भी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग नही किया जा रहा है तथा मुझ अपीलान्ट के पास कोई पैत्रिक सम्पति भी नही है। मुझ अपीलान्ट के पांच संतान है जिनका भरण पोषण मजदूरी करके करता हूॅ यह तर्क भी दिया कि मैं मेरे परिवार का भी सही तरीके से पालन पोषण नही कर पाता हूॅ। इसलिए केसरा जो कि मेरा कुछ भी नही लगता है के भरण पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही उक्त केसरा को मेरा गोद पिता मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जबकि सभी दस्तावेजो में मेरे पिता का नाम जुम्मा लुहार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर बिना किसी जॉच करवाये केवल मात्र पंचो द्वारा लिखे गये सादा गोदनामे को आधार मानते हुए रेस्पो0 केसरा को 1500/–रू प्रतिमाह बतौर गुजारा भत्ता देने के आदेश पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. [illegible] यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि रेस्पो0 के कोई संतान नही होने के कारण मेरे द्वारा सरफूद्दीन को दत्तक पुत्र गोद लिया था जिसका गोद नामा पंच पठेलो के समक्ष लिखा हुआ है तथा उक्त गोदनामे के अतिरिक्त भी बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक श्यामपुरा में खाता संख्या 41520100002589 केसरा व सरफूद्दीन का संयुक्त खाता है तथा प्लस इण्डिया लिमिटेंड की पॉलिसी मे भी सरफूद्दीन को नॉमिनी नियुक्त किया गया है। सरफूद्दीन एक काश्तकार व्यक्ति है तथा 20,000/–प्रति माह कमाता है प्रार्थी वृद्व एवं असहाय व्यक्ति है तथा इस उम्र में धन्धा नही कर सकता है जिसके कारण प्रार्थी को अपने दत्तक पुत्र सरफूद्दीन पर ही निर्भर है प्रार्थी की आराजीयात वन विभाग मे आने से प्रार्थी को वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि 7,00,000/–रू भी अप्रार्थी ने अपने बैंक खाते मे जमा करा रखे है तथा उससे प्राप्त बैंक ब्याज भी अप्रार्थी सरफूद्दीन ही रखता है मुआवजा राशि 7,00,000/–रू प्रार्थी ने अप्रार्थी को दे दी थी किन्तु जब सरफूद्दीन ने मुझ रेस्पो0 को परेशान किया तब पंच पटेल द्वारा दिनांक 20.2.2018 एक समझौता करवाया गया जिसमे सरफूद्दीन द्वारा तीन लाख रूपये वापस जमा करवाने बाबत अपनी सहमति दी गयी है किन्तु उक्त रूपये वापस नही दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो0 को 1500/–रू प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिये जाने का आदेश दिया है जिससे मेरी दवाईयों इत्यादि का खर्चा नही चल रहा है इसलिए मुझे 5000/–रू प्रति माह भरण पोषण राशि दिलवायी जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर अपीलान्ट का रेस्पो. केसरा के गोदपुत्र/दत्तक पुत्र जैसा कोई सम्बन्ध नही होना साबित हो सकें। इसके विपरीत वकील रेस्पो0 द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पंचनामा दिनांक 20.2.2018, एवं बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक श्यामपुरा में केसरा व सरफूद्दीन के संयुक्त खाता संख्या 41520100002589 की पासबुक तथा पीएसीएल इण्डिया लिमिटेंड की पॉलिसी जिसमे सरफूद्दीन को नॉमिनी नियुक्त किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार रेस्पो0 अपीलान्ट से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण राशि कम निर्धारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण राशि 1500/–रू प्रतिमाह बाबत पारित आदेश के स्थान पर भरण पोषण राशि 3000/–रू प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट से दिनांक 18.5.2022 से अब तक 1500/–रू प्रतिमाह के हिसाब से 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वसूल की जाकर रेस्पो0 को भुगतान करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया ।

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner